

सामान्य भविष्य निधि से संबंधित पूछे जानेवाले प्रश्न

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
1.	सामान्य भविष्य निधि में सदस्यता या अंशदान हेतु कौन योग्य है?	मेघालय सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1985 के नियम 4 के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि में प्रवेश हेतु योग्य एवं नए प्रवेशकर्ता जिनका सेवा प्रथम अप्रैल 2010 या उसके बाद नियमित पदों पर नियमित किया गया या किया जाएगा उनके अलावा सभी सरकारी कर्मचार ( परिवीक्षाधीन, अस्थायी/ स्थायी) के लिए सामान्य भविष्य निधि के लिए अभिदान आवश्यक रूप से अनिवार्य है।
2.	सामान्य भविष्य निधि स्वाता संख्या / सामान्य भविष्य निधि में अभिदान हेतु कैसे आवेदन करें?	निर्धारित प्रपत्र में नए सामान्य भविष्य निधि स्वाता संख्या के लिए आवेदन वित्त विभाग, मेघालय सरकार के द्वारा सभी विभागों/ विभाध्यक्षों को परिचालित (परिपत्र संख्या एफईएम/54/94/96 दिनांक 08.08.2006 के द्वारा ) यथाविधि भरकर अभिदाता के द्वारा महालेखाकार का कार्यालय ( लेखा व. हकदारी), मेघालय के मेघालय भविष्य निधि अनुभाग में कार्यालय के प्रमुख या विभाग के प्रमुख के द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिए।
3.	महालेखाकार का कार्यालय से नए सामान्य भविष्य निधि स्वाता संख्या के आबंटन हेतु आवेदन की स्थिति की पुछताछ कैसे करें?	आवेदक प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में, पीछले महीने के लिए वेबसाइट में आपलोड किए गए मेघालय सरकार की कर्मचारियों की सूची जिन्हें नए स्वाता संख्या आबंटित किए गए हैं उन्हें देख सकते है। यदि किसी आवेदक का नाम सूची में प्रदर्शित नहीं होता है तो वे नए सामान्य भविष्य निधि स्वाता संख्या के आबंटन हेतु महालेखाकार का कार्यालय को अग्रेषित पत्र संख्या, दिनांक के संदर्भ देकर लिखित रूप में महालेखाकार का कार्यालय, मेघालय को पूछताछ कर सकते है।
4.	महालेखाकार का कार्यालय का कौन सा अनुभाग सामान्य भविष्य निधि स्वाता संख्या से संबंधित है?	महालेखाकार का कार्यालय के दो अनुभाग एमपीएफ –I एवं II मेघालय सरकार के विभिन्न विभागों के सामान्य भविष्य निधि स्वाता संख्या से संबंधित है। हाइपर लिंक पर क्लिक करके कौन सा विभाग इन अनुभागों से संबंधित है, कोई भी देख सकता है।

5.	एक अभिदाता को दो भिन्न सामान्य भविष्य निधि स्वाता होने के मामले में क्या करना चाहिए?	अभिदाता को दोनो सामान्य भविष्य निधि स्वाता संख्या के विवरण को महालेखाकार का कार्यालय के वरिष्ठ लेखा अधिकारी (एमपीएफ ग्रुप) को संबोधित करते हुए लिखित रूप से इस मामले को तुरंत ध्यान में लाना चाहिए। एमपीएफ अनुभाग तथ्यों की जाँच करेगा और यदि सही पाया गया तो संबंधित अभिदाता को सूचित करते हुए एक सामान्य भविष्य निधि स्वाता को बंद करके सभी शेष राशि को दूसरे सामान्य भविष्य निधि स्वाता में स्थान्तरित किया जाएगा।
6.	नामांकन	प्रत्येक राजपत्रित सरकारी कर्मचारी को प्रथम सामान्य भविष्य निधि में अंशदान के समय उनके/ उनकी मृत्यु की स्थिति में उनके/ उनकी सामान्य भविष्य निधि स्वाते में जमा राशि को प्राप्त करने का अधिकार एक या अधिक व्यक्ति को प्रदान करने हेतु महालेखाकार का कार्यालय के एमपीएफ अनुभाग में कार्यालय प्रमुख / विभाग के द्वारा निर्धारित फार्म में नामांकन को प्रस्तुत करना होगा। अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी के मामले में कार्यालय प्रमुख के द्वारा नामांकन पत्र अनुरक्षित करना अपेक्षित है। यह ध्यान देना चाहिए कि महालेखाकार का कार्यालय में पहुँचने के पहले उसका/ उसकी मृत्यु होने पर भी, सामान्य भविष्य निधि का नामांकन वैध है।
7.	कौन नामांकित हो सकता है?	<p>एक सामान्य भविष्य निधि अभिदाता जिनका परिवार है, उन्हें नामांकन के समय परिवार के सदस्य या सदस्यों का ही नामांकन करना होगा।</p> <p>पुरुष अभिदाता के मामले में परिवार का तात्पर्य है- अभिदाता का पत्नी या पत्नियाँ एवं बच्चें (वैध एवं दत्तक समेत जहाँ दत्तक ग्रहण अभिदाता को व्यक्ति कानून शासित द्वारा मान्यता प्राप्त), अभिदाता के मृतक पुत्र के विधवा या विधवाओं एवं बच्चों से है।</p> <p>महिला अभिदाता के मामले में परिवार का तात्पर्य, अभिदाता का पति एवं बच्चें एवं अभिदाता के मृतक पुत्र के विधवा या विधवाओं एवं बच्चों से है।</p> <p>यदि अभिदाता एक से अधिक व्यक्ति को नामित करना/ करनी है</p>

		तो नामांकन में प्रत्येक नामांकित को देय राशि या अंश इस तरह से उल्लेख करना होगा कि उसके/ उसकी सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि पूरी तरह से वह सम्मिलित हो।
8.	कब पत्नी या पति के सदस्यता समाप्त होती है?	<p><b>पुरुष अभिदाता के मामले में:</b></p> <p>यदि पुरुष अभिदाता प्रमाणित करता है कि उनकी पत्नी उनसे अलग हो गई या उनको समुदाय के प्रथागत कानून के अनुसार छोड़ दिया गया है, जिसके लिए वह रस्खरस्वाव के हकदार है। उसे अभिदाता के परिवार के सदस्य के रूप में अब और नहीं समझा जाएगा।</p> <p><b>महिला अभिदाता के मामले में:</b></p> <p>यदि अभिदाता अपने कार्यालय प्रमुख/ विभाग को लिखित रूप में महालेखाकार का कार्यालय में अपने परिवार से अपने पति को वर्जित करने की अपनी इच्छा प्रस्तुत करने पर पति को अभिदाता के परिवार के सदस्य के रूप में और अब नहीं समझा जाएगा।</p>
9.	क्या एक बार नामांकन हो जाते के बाद परिवर्तन/ निरस्त किया जा सकता है?	<p>हाँ। यदि एक अभिदाता महालेखाकार का कार्यालय को कार्यालय के प्रमुख / विभाग के द्वारा उनके पूर्व में किए गए / गई नामांकन को रद्द करने के लिए लिखता/ लिखती है तो नामांकन के निरस्त/ रद्द करने की सूचना के साथ नए नामांकन का भेजना आवश्यक नहीं है। यदि रद्द की सूचना के साथ नए नामांकन नहीं भेजा जाता है तो सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1985 के निर्धारित रूप में ही किया जाएगा।</p> <p>अभिदाता से प्राप्त उनके/ उनकी मौजूदा नामांकन की रद्द की सूचना महालेखाकार का कार्यालय में यदि अभिदाता के मृत्यु के बाद भी पहुँचती है, तब भी वह वैध माना जाएगा।</p>
10.	मैं सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका/ चुकी हूँ किन्तु अभी तक सामान्य भविष्य निधि राशि को नहीं निकाला/ निकाली हूँ? क्या मैं नामांकन परिवर्तन कर सकता हूँ?	हाँ। नामांकन को अभिदाता के सेवानिवृत्ति के बाद भी परिवर्तित किया जा सकता है किन्तु उनके सामान्य भविष्य निधि में क्रेडिट राशि को वे आहरण करने से पहले।
11.	एक नामांकन कब अवैध होता है?	अगर नामांकन करने के समय अभिदाता का कोई परिवार नहीं होता है और वह विशेष रूप से नामांकन में कहता है कि बाद में

		परिवार का अधिग्रहण होने की स्थिति में यह अवैध हो जाएगा, तो परिवार होने के स्थिति में मौजूदा नामांकन अवैध हो जाता है।
12.	सामान्य भविष्य निधि अभिदाता हेतु क्या कोई न्यूनतम अधिकतम निर्धारित दर है?	मासिक सामान्य भविष्य निधि की राशि अभिदाता निर्णय करता है। यह वेतन के 6.25 प्रतिशत से कम और उनके/उनकी वेतन से अधिक नहीं हो सकता है। (मेघालय प्रशासनिक सेवा नियमावली (सामान्य भविष्य निधि) 1985 नियम 8(b))
13.	परिलब्धियों की परिभाषा क्या है?	जैसा कि मौलिक नियम में पारिभाषिक परिलब्धियाँ का अर्थ वेतन, छुट्टी वेतन या निर्वाह अनुदान एवं यदि स्वीकार्य हो मौजूदा सामान्य भविष्य निधि अभिदाता के मामले में, पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च तक कोई अभिदाता के विदेश सेवा के संदर्भ में प्राप्त वेतन कोई पारिभाषिक शामिल होता है। यदि पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को अभिदाता कोई सरकारी सेवा में नहीं हो तो, इस मामले में, वेतन परिलब्धियाँ जिसके लिए वह अधिकृत है, जिस दिन से वे सामान्य भविष्य निधि में सम्मिलित हुए, उसी दिन को अभिदान का दर के निर्णय हेतु लिया जाएगा (नियम 2 (बी) मेघालय प्रशासनिक सेवाएँ (सामान्य भविष्य निधि ) नियमावली) 1985
14	क्या सामान्य भविष्य निधि अंशदान अनिवार्य है?	जब अभिदाता निलंबन के अधीन हो, उस समय को छोड़कर, सामान्य भविष्य निधि में मासिक अंशदान अपेक्षित है। निलंबन के समय के बाद बहाली होने पर अभिदाता के पास विकल्प है, यद्यपि, यदि वे एकमुश्त अथवा किस्त में चुकाना चाहते हैं, तब भी अभिदाता जब निलंबन के अधीन था उस समय के दौरान देय, कोई भी राशि अंशदान की राशि से अधिकतम नहीं हो। अभिदाता को छुट्टी के दौरान सामान्य भविष्य निधि में अंशदान नहीं करने का विकल्प है, जिसमें या तो छुट्टी वेतन नहीं होती या छुट्टी वेतन या औसत आधा वेतन होता है।
15	क्या अंशदान की दर बदलती है?	हाँ, वित्तीय वर्ष के दौरान सामान्य भविष्य निधि अंशदान एकबार घटती है और दो बार बढ़ती है। बढ़ी हुई एवं घटी हुई दर निर्धारित अधिकतम एवं न्यूनतम सीमा के बीच होनी चाहिए।
16	जब एक अभिदाता प्रतिनियुक्त या विदेश सेवा में हो, तो मासिक भविष्य निधि अंशदान कैसे किया जाए?	प्रतिनियुक्त या विदेश सेवा के दौरान सामान्य भविष्य निधि चेक, ड्राफ्ट, अंशदान का महीना एवं सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या को दशार्तें हुए अनुसूची के साथ महालेखाकार का कार्यालय

		(लेक्चर) के पक्ष में किया जा सकता है। चेक/ ड्राफ्ट महालेखाकार का कार्यालय से संबंधित एमपीएफ अनुभाग को भेज देना चाहिए। सावधानी के उपाय के रूप में अभिदाता व्यक्तिगत रूप से अग्रेषित पत्र चेक/ बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं राशि का विवरण रखना चाहिए, तो वहाँ पर कोई मिसिंग क्रेडिट होने पर, ये विवरण मिसिंग क्रेडिट के समायोजन हेतु एक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। क
17	अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि विवरण में मिसिंग क्रेडिट दर्शाने पर क्या किया जा सकता है?	मिसिंग अभिदान के प्रमाण के आधार पर मिसिंग क्रेडिट का समायोजन के लिए विलुप्त अभिदान के प्रमाण (ट्रेजेरी वाउचर संख्या एवं तिथि, मासिक वेतन, सामान्य भविष्य निधि का अभिदान को दर्शाये ब्यौरे को आहरण एवं संवितरण अधिकारी/ ट्रेजेरी अधिकारी के द्वारा विधिवत प्रमाणित) को महालेखाकार का कार्यालय के एमपीएफ अनुभाग में भेजे जाए।
18	मेरे सामान्य भविष्य निधि खाता में मिसिंग डेबिट/क्रेडिट से बचने के लिए मैं क्या कर सकता/ सकती हूँ?	महालेखाकार का कार्यालय में सामान्य भविष्य निधि अनुसूची से जो प्रत्येक महीने कोषागार / प्रभागीय लेखे के साथ महालेखाकार का कार्यालय में प्राप्त होता है, प्रत्येक अभिदाता का सामान्य भविष्य निधि में अभिदान सारणीबद्ध किया जाता है।
19	यदि मेरा नाम सामान्य भविष्य निधि में गलत दिखाया जाता है तो क्या करना चाहिए?	एक आवेदन अपने कार्यालय/ विभाग के प्रमुख के द्वारा महालेखाकार का कार्यालय के एमपीएफ अनुभाग को अपने नाम सुधार हेतु भेजा जाना चाहिए। सही नाम का प्रमाण जैसे कि अपना पहचान पत्र का फोटोकॉपी अपने आवेदन के साथ भेजा जाना चाहिए।
20	अभिदाता को अपना नाम परिवर्तन हेतु क्या करना/ करनी चाहिए?	सामान्य भविष्य निधि खाता में नाम परिवर्तन हेतु आवेदन कार्यालय/ विभाग के द्वारा महालेखाकार का कार्यालय के आपके मामले से संबंधित एमपीएफ अनुभाग को न्यायालय शपथपत्र की अनुप्रमाणित प्रति अथवा अन्य कोई वैध प्रमाण/ कागजात के साथ भेजा जाना चाहिए।
21	सामान्य भविष्य निधि जमा के वार्षिक ब्याज दर क्या है?	वित्तीय वर्ष 2013-14 से ब्याज दर 8.5% है।
22	मेरे सामान्य भविष्य निधि खाता से अग्रिम/	हाँ, एक अग्रिम/ निकासी, 3 महीने के वेतन या अभिदाता के जमा

	निकासी क्या किया जा सकता है?	राशि का आधा से अधिक नहीं, जो भी कम हो, मेघालय सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1985 का नियम 13 और 16 में निर्दिष्ट प्रयोजनों पर स्वर्च मिलने के लिए उपयुक्त अधिकारी के द्वारा उसे सामान्य भविष्य निधि से स्वीकृत किया जाए।
23८	मेरे सामान्य भविष्य निधि अग्रिम/ निकासी का आवेदन किसके पास करना है?	आपके कार्यालय/ विभाग के सक्षम स्वीकृति प्राधिकारी को सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम/ निकासी के लिए आवेदन करना है।
24८	मुझे मेरा सामान्य भविष्य निधि वार्षिक विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। क्या करना चाहिए?	प्रत्येक वर्ष के अगस्त महीने के प्रथम सप्ताह में महालेखाकार का कार्यालय, आहरण एवं संवितरण अधिकारी को सभी अभिदाताओं के बीच वितरण हेतु सामान्य भविष्य निधि वितरण हेतु उस कार्यालय में भेजता है। एक अभिदाता के वार्षिक भविष्य निधि विवरण आहरण एवं संवितरण अधिकारी को भेज दिया जाता है, जहाँ से अभिदाता फरवरी महीने का अपना वेतन आहरण कर सकता है। यदि वर्ष के दौरान आपका स्थानांतरण एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में हो जाता है, तो आपको अपनी सामान्य भविष्य निधि विवरण के संबंध में आहरण एवं वितरण अधिकारी से पूछताछ करनी चाहिए, जहाँ से ऐप फरवरी महीने का वेतन आहरण किया है। आप अपने कार्यालय प्रमुख/ विभाग के द्वारा आपके मामले से संबंधित महालेखाकार का कार्यालय के एमपीएफ अनुभाग से सामान्य भविष्य निधि विवरण की अनुलिपि भेजने का आवेदन कर सकते हैं।
25८	क्या मेरे वार्षिक सामान्य भविष्य निधि खाता विवरण में दी गई राशि अंतिम है?	नहीं। आपके वार्षिक सामान्य भविष्य निधि विवरण में दी गई वार्षिक सामान्य भविष्य निधि शेष राशि, मासिक क्रेडिट, डेबिट अनंतिम आकड़ा है। सामान्य भविष्य निधि विवरण में कोई भी गलतियाँ पाई जाने पर उसे सही स्थिति के प्रमाण के साथ लिखित रूप में महालेखाकार का कार्यालय के ध्यान में तुरंत लाना चाहिए।
26८	क्या मेरे सामान्य भविष्य निधि खाते से ली गई राशि वापस करना अपेक्षित है?	दो प्रकार से सामान्य भविष्य निधि खाते से अग्रिम लिया सकता है: (i) अस्थायी लिया जा सकता है। (ii) गैर वापसी योग्य अग्रिम यदि आप अस्थायी अग्रिम अपने सामान्य भविष्य निधि शेष राशि से लेते हैं तो न्यूनतम 12 और अधिकतम 24 किस्तों में अग्रिम की वसूली होगी। गैर वापसी योग्य अग्रिम वापस करना अपेक्षित नहीं है।

27८	क्या मेरे सामान्य भविष्य निधि से मेरा अस्थायी आहरण गैर वापसी योग्य अग्रिम में परिवर्तित किया जा सकता है?	मेघालय सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1985, का नियम 16 एवं 17 में निर्धारित, स्थिति पर निर्भर सामान्य भविष्य निधि से एक अस्थायी आहरण को गैर वापसी योग्य अग्रिम में परिवर्तित किया जा सकता है।
28८	मुझे कब मासिक सामान्य भविष्य अंशदान बंद करना चाहिए?	सेवानिवृत्ति के मामले में सामान्य भविष्य निधि अंशदान अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति के 6 महीने पूर्व ही बंद किया जाना चाहिए।
29८	मेरे सामान्य भविष्य निधि खाते की राशि कब देय होगी।	सरकारी सेवा में सरकारी कर्मचारी/ अभिदाता के मृत्यु के बाद ही अभिदाता का जमा शेष देय होगी ( सेवा छोड़ने पर/ सेवा में पदच्युत होनेपर अथवा सेवा में निकाले जाने पर/सेवानिवृत्ति- पूर्व छुट्टी / सक्षम चिकित्सा अधिकारी के द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने पर सेवा से सेवानिवृत्त होने पर)
30८	जब अभिदाता एक सेवा से त्यागपत्र देकर दुसरा नया सेवा का कार्यभार ग्रहण करता है, क्या तब सामान्य भविष्य निधि शेष राशि देय होगा,	<p>नहीं, यदि एक अभिदाता एक सेवा को छोड़कर उसी राज्य सरकार के अंतर्गत दूसरे सरकारी कार्यालय/ विभाग में कार्यभार ग्रहण करता है, तो वे वही सामान्य भविष्य निधि खाता संस्था जारी कर सकता है।</p> <p>यदि एक अभिदाता त्यागपत्र देकर दूसरे राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के कार्यालय/ विभाग का कार्यभार ग्रहण करता है तो उन्हें अपने सामान्य भविष्य निधि शेष राशि को नए सामान्य भविष्य निधि खाता स्थानांतरण करने हेतु नए सामान्य भविष्य निधि खाता संस्था, लेखा रखनेवाला विभाग/ प्राधिकृति का पूरा पता आदि के पूरा विवरण सहित आवेदन कर सकते हैं।</p> <p>यदि एक अभिदाता निजी क्षेत्र में सेवा के लिए सरकारी सेवा त्याग देता है तो अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि खाता में जमा शेष देय होगा।</p>
31८	सामान्य भविष्य निधि खाता में जमा हुए शेष राशि ( सेवा निवृत्ति पर / सरकारी कर्मचारी की समाप्ति/ छोड़ने पर / सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर ) का अंतिम आहरण हेतु मैं आवेदन कैसे करूँ?	<p>आपके निर्धारित प्रपत्रों को अपेक्षित कागजात के साथ आपके मामले से संबंधित महालेखाकरा का कार्यालय के एमपीएफ अनुभाग को अपने कार्यालय/ विभाग प्रमुख द्वारा अग्रेषित करना चाहिए।</p> <p>निर्धारित प्रपत्रों: (i) फॉर्म-ए –राजपत्रित सरकारी अधिकारियों द्वारा भरा जाना चाहिए। (ii) फॉर्म- बी- राजपत्रित सरकारी</p>

		<p>कर्मचारियों द्वारा भरा जाना चाहिए। (iii) फॉर्म-सी – ऐसे मामलों में जहाँ सरकारी कर्मचारी की मृत्यु काम करते समय हुई हो।</p> <p>सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान से संबंधित कोई भी जानकारी (अंतिम भुगतान संबंधी आवेदन इस कार्यालय को भेजने के बाद) कार्यालय/ विभाग प्रमुख द्वारा महालेखाकार का कार्यालय के एमपीएफ अनुभाग को पूछताछ के लिए प्रेषित किया जाना चाहिए।</p>
32८	अपने सामान्य भविष्य निधि संचय हेतु बिना नामांकित के काम करते हुए सरकारी कर्मचारी के मृत्यु होने पर अंतिम भुगतान हेतु आवेदन (फॉर्म-सी) के साथ कौन से कागजात प्रस्तुत करना अपेक्षित है?	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ भुगतान हेतु दावा अगर विधवा/ विधुर के द्वारा हो, तो मृत अभिदाता का विधवा/ विधुर होने का प्रमाण के अलावा कोई भी दुसरा कागजात देना अपेक्षित नहीं है।</li> <li>○ यदि भुगतान हेतु दावा मृत अभिदाता के नाबालिक बच्चों के लिए उनके माँ द्वारा किया जाए, यदि हिन्दु नहीं है तो न्यायालय के द्वारा जारी अभिभावक प्रमाणपत्र संलग्न करना चाहिए।</li> <li>○ यदि भुगतान हेतु दावा किसी दुसरे मृतक के रिस्तेदार द्वारा किया जाए, तो न्यायालय के द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए और उदाहरण के तौर पर दावे को प्रमुखता देने का कारण, अभिदाता का मृत्यु अविवाहित अवस्था में हुआ अथवा मृतक के पहले पति या पत्नी की मृत्यु/ इन मामलों में मृतक के पति/ पत्नी की मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न करना चाहिए।</li> <li>○ फॉर्म-सी के साथ सक्षम प्राधिकारी के द्वारा मृतक अभिदाता का मृत्यु प्रमाणपत्र को संलग्न करना आवश्यक है।</li> </ul>
33८	अंतिम भुगतान आवेदन के साथ राजपत्रित सरकारी कर्मचारी के साथ कौन सा कागजात प्रस्तुत करना आवश्यक है?	<p>1८ आवेदन फॉर्म-ए में होना चाहिए।</p> <p>2८ आवेदन प्रपत्रके साथ सरकारी कर्मचारी का नमुना हस्ताक्षर कार्यालय/ विभाग के प्रमुख के द्वारा यथाविधि अनुप्रमाणित तीन प्रतियाँ संलग्न किया जाना चाहिए।</p>
34८	सरकारी कर्मचारी की मृत्यु/ सेवानिवृत्ति के समय सामान्य भविष्य निधि शेष राशि का ब्याज किस अवधि तक गणना होगी?	सरकारी कर्मचारी की मृत्यु/ सेवानिवृत्ति से अधिकतम 6 महीने तक सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज की अनुमति है अथवा इस अवधि के बाद भी ब्याज देय है बशर्ते सामान्य भविष्य निधि

		संचय का भुगतान करने में सरकार के द्वारा बिलम्ब की गई है।
35८	क्या कोई सरकारी देय राशि की पुनःप्राप्ति, अंतिम सामान्य भविष्य निधि भुगतान से की जा सकती है?	<p>सामान्य भविष्य निधि शेष राशि से वैध रूप से वेतन पर अग्रिम राशि अथवा गबन राशि की कटौती नहीं की जा सकती है।</p> <p>अभिदाता अथवा मृत अभिदाता के नामांकित से अनुमति प्राप्त होने पर भी, अभिदाता अथवा मृत अभिदाता के नामांकित के सामान्य भविष्य निधि के अवितरित शेष राशि से कोई भी बकाया राशि कटौती नहीं किया जा सकता है।</p> <p>सरकार के बकाया राशि चुकाने हेतु अभिदाता अथवा नामांकित की इच्छा होने के मामले में सबसे अच्छा उपाय पुनःभुगतान दुसरे लेनदेन के रूप में हो। बिना किसी बाध्यता/ विवशता के ही पूरा सामान्य भविष्य निधि शेष राशि भुगतान करना चाहिए। तदुपरांत अदाता को सरकारी राशि भुगतान हेतु बुलाया जा सकता है।</p>
36८	कौन सी परिस्थिति में कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना स्वीकार्य है?	<p>जब एक अभिदाता के मृत्यु सेवा के दौरान हो जाए, तो निम्नलिखित स्थिति में कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना के ₹ 10,000/-स्वीकार्य है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ I श्रेणी के सरकारी कर्मचारी के मामले में ₹4000/- के नीचे, ₹2500/- II श्रेणी, ₹1500/- III श्रेणी के लिए एवं ₹1000/- IV श्रेणी सरकारी कर्मचारी के मामले में अभिदाता को सामान्य भविष्य निधि में शेष राशि नहीं होना चाहिए।</li> <li>○ मृत्यु के समय तक मृत अभिदाता के सेवा अवधि कम से कम पाँच वर्ष होना चाहिए।</li> <li>○ जिस महीने में मृत्यु हुई है उससे पहले 36 महीने के अंत में अभिदाता का जमाराशि के शेष राशि के आधार पर औसत सामान्य भविष्य निधि शेष राशि किया जाता है।</li> </ul>